18.07.2020
बी०ए०-खण्ड-II
अर्थशास्त्र प०-2 द्वितीय पत्र
"Public Finance" "लोकवित्त"
'Taxation'

डॉ० विपिन कुमार
प्रो० अर्थशास्त्र विभाग
आर. आर. एम. कॉलेज, कोडरमा
वी० वी० यु०, हजारीबाग

MAY 2020
1 2 3 4 ... 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
28
APRIL - TUESDAY
Appointments

प्रश्न: कर क्या है? आनुपातिक एवं प्रगतिशील करारोपण (Proportional and Progressive tax) का वर्णन करें। उसके गुण-दोषों की व्याख्या करें।

उत्तर: आधुनिक सरकारों के लिए कराधान (taxation) आय का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख स्रोत माना जाता है। प्रजातांत्रिक देशों में कराधान ही सरकार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के साथ ही कई अन्य प्रकार की गतिविधियों को वास्तविक स्वरूप प्रदान करती है। करदाता द्वारा किया गया कर के रूप में अंशदान एक ऐसा उद्देश्य है जो आय एवं सम्पत्ति की असमानता को कम करके उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करके तथा आर्थिक स्थिरता एवं वृद्धि प्राप्त करने में सहायक साबित होता है। देश की जनता कर का भुगतान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर (Direct and Indirect Tax) के रूप में करती है। सरकार द्वारा करारोपण (Taxation) का मुख्य उद्देश्य लोगों की खुशहाली एवं समानता लाने के लिए लोकप्रिय एवं सराहनीय कदम माना गया है। करों को तरीके के आधार पर तीन खण्डों में वर्गीकृत किया गया है:

(1) आनुपातिक कराधान (Proportional Taxation): इसमें कर की मात्रा समान रहती है। इसमें सभी आयों पर एक समान दर से कर लगाया जाता है। इसका करदाता की आय से कोई संबंध नहीं होता है।

(2) प्रगतिशील कराधान (Progressive Taxation): यह कर व्यक्ति की आधार पर निर्धारित किया जाता है, आय की दर जितनी अधिक होगी कर की दर उसी अनुपात में निर्धारित की जाएगी। हमारे देश भारत में इसी प्रकार के कराधान को अपनाया गया है।

(3) प्रतिगामी कराधान (   ): प्रतिगामी कराधान में करदाता की आय जितनी अधिक होगी उस पर कर का निर्धारण उतना ही कम होगा। यह प्रगतिशील करों के विपरीत है।

(4) अधोगामी कर (   ): यह कर प्रगतिशील और प्रतिगामी करों का मिश्रण है। इसमें एक निश्चित सीमा तक कराधान की दर में वृद्धि होती है और उसके बाद आय में परिवर्तन के साथ कर की दर स्थिर रहती है।

यहाँ हम प्रश्नानुसार, आनुपातिक करारोपण (Proportional Taxation) एवं प्रगतिशील अथवा आरोही करारोपण (Progressive Taxation) की विस्तृत चर्चा करेंगे। (Prof. Philip E. Taylor) प्रो० फिलिप ई० टेलर के अनुसार, "आनुपातिक कर की दरों की तालिका वह होती है जिसमें कर के आधार में परिवर्तन होने पर भी कर की दर समान रहती है।"

प्रो॰ डाल्टन ने (Prof. Dalton) के अनुसार, "आनुपातिक करारोपण के अन्तर्गत सभी करदाता अपनी आय का समान अनुपात करों के रूप में भुगतान करते हैं।"

'आनुपातिक कर' को निम्नलिखित तालिका सं॰-1 में निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है: तालिका सं॰-1: आनुपातिक कर की तालिका:

आय-स्तर (रु॰)	कर की दर (प्रतिशत)	कर की राशि (रु॰)
40,000 रु॰	20	8,000 रु॰
50,000 रु॰	20	10,000 रु॰
60,000 रु॰	20	12,000 रु॰
70,000 रु॰	20	14,000 रु॰

इस तालिका सं॰-1, को हम रेखाचित्र सं॰-1 में इस प्रकार दिखला सकते हैं:-

रेखाचित्र संख्या-1:

'आनुपातिक करारोपण' (Proportional Taxation) के निम्नलिखित प्रमुख दो गुण हैं:

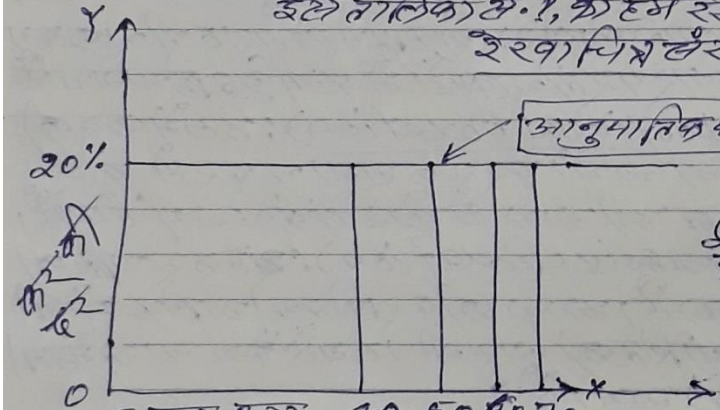

(i) सरलता: इसका सबसे बड़ा गुण इसकी सरलता है, प्रो॰ जे॰ के॰ मेहता के अनुसार, "आनुपातिक करारोपण इतनी सरल प्रणाली है कि इसकी परिभाषा देना भी आवश्यक नहीं है।"

(ii) यह कर प्रणाली मनमाने ढंग से निर्धारित नहीं की जा सकती: इस तरह के कर प्रणाली में अमीर और गरीब दोनों वर्गों से समान दर से कर की वसूली की जाती है। अतः इसमें विभिन्न आयवाले समूहों से कर की दर मनमाने ढंग से तय नहीं की जा सकती।

'आनुपातिक करारोपण' के गुण के साथ ही इसके प्रमुख दोषों को भी दर्शाया गया है, जो निम्नलिखित हैं:—

(i) न्यायशीलता का अभाव: यह कर प्रणाली न्यायपूर्ण नहीं है। यदि हम ह्रासमान सीमान्त उपयोगिता नियम को मुद्रा पर लागू करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिक आय वाले व्यक्तियों को मुद्रा की अतिरिक्त इकाई से, निर्धनों की अपेक्षा, कम संतुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार, आनुपातिक करों से सरकारों को पर्याप्त [illegible] करों के भार का वितरण [illegible]

(ग) धनी वर्ग से उनकी क्षमता के अनुकूल कर नहीं लिए जाते: चूंकि अमीर और गरीब दोनों से ही समान दर से कर लिए जाते हैं। अतः सरकार को अमीर वर्ग से उतनी कर आय प्राप्त नहीं होती जितनी कि होनी चाहिए। आजकल सरकारों के व्यय में काफी वृद्धि हुई है, अतः आनुपातिक करों से सरकारों को पर्याप्त आय नहीं हो सकती।

(घ) लोच का अभाव: आनुपातिक करों में लोच का अभाव पाया जाता है। यदि सरकार को अधिक आय की आवश्यकता होती है और पहले ही करों की दर अधिक है तो विशेष रूप से गरीब व्यक्तियों से अधिक कर नहीं वसूल किये जा सकते क्योंकि ऐसी स्थिति में करों की दर में वृद्धि करना संभव नहीं होता है।

इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यदि आनुपातिक कर प्रणाली को अपनाया जाता है तो इससे करों के भार का वितरण अन्यायपूर्ण एवं अनुचित होगा। अतः सरकार को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होगी तथा करों के ढांचे में लोच का अभाव होगा।

② प्रगतिशील करारोपण (आरोही करारोपण) (Progressive Taxation): 'प्रगतिशील (करारोपण) कर प्रणाली' वह कर प्रणाली है जिसमें आय की वृद्धि के साथ ही कर की दर में भी वृद्धि होती जाती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि "अधिक आय, अधिक कर की दर।" डाल्टन के अनुसार, "प्रगतिशील करारोपण में करदाता की आय जितनी अधिक होती है, उतने ही अधिक अनुपात में वह कर का भुगतान करता है।"

'प्रो० टेलर' के अनुसार, "प्रगतिशील कर की दरों की तालिका वह है जिसमें कर के आधार में वृद्धि के साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है।" 'प्रगतिशील कर' को निम्नलिखित तालिका सं.-2 एवं रेखाचित्र संख्या-2 में इस प्रकार दर्शाया गया है:

तालिका सं.-2 (प्रगतिशील कर तालिका)

आय स्तर (रु०)	कर की दर (प्र.श.)	कर की राशि (रु०)
40,000 रु०	5	2,000 रु०
50,000 रु०	10	5,000 रु०
60,000 रु०	15	9,000 रु०
70,000 रु०	20	14,000 रु०

रेखाचित्र संख्या-2

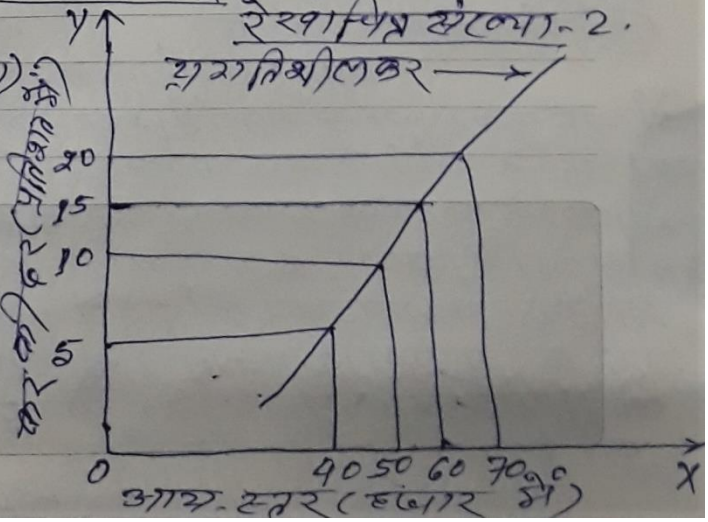

NOTES

'प्रगतिशील कर' के 'गुणों' अथवा 'पक्ष' और 'दोष' अथवा 'विपक्ष' में निम्न-लिखित प्रमुख तर्क दिये जाते हैं: पक्ष में तर्क:

(i) न्यायपूर्ण कर प्रणाली: इस कर प्रणाली में ऊँची आय वाले लोगों से अधिक कर एवं कम आय वाले लोगों से कम कर की वसूली की जाती है। इस प्रकार यह कर प्रणाली 'न्यायपूर्ण' एवं कर देने की योग्यता के अनुरूप है।

(ii) कुल त्याग न्यूनतम सिद्धांत पर आधारित: इस कर प्रणाली में निर्धन या गरीब व्यक्तियों को अमीर या धनी व्यक्तियों की तुलना में कम भार सहन करना पड़ता है।

(iii) लोचपूर्ण कर प्रणाली: इस कर प्रणाली में सरकार आवश्यकतानुसार कर के ढाँचे में बदलाव ला सकती है जबकि आनुपातिक कर-प्रणाली में नहीं।

(iv) आर्थिक स्थिरता: सार्वजनिक व्यय के माध्यम मंदी काल में कमजोर लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाकर आर्थिक स्थिरता बनाये रखने का प्रयास किया जाता है।

(v) मितव्ययिता: यह कर प्रणाली मितव्ययी माना जाता है कारण कि इसकी वसूली में ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है।

(vi) वितरण की समानता: इसमें धन के वितरण में अधिक समानता लायी जा सकती है। इन करों से धनी व्यक्तियों के क्रय शक्ति को कम किया जा सकता है और इस आय को सार्वजनिक व्यय के माध्यम से गरीबों की क्रय शक्ति को बढ़ाकर वितरण की समानता लायी जा सकती है।

(vii) सरकार की आय में वृद्धि संभव: वर्तमान समय में सरकार के कई प्रकार के नये-नये क्षेत्रों में व्यय बढ़ता जा रहा है, इसकी प्रतिपूर्ति सरकार इस कर प्रणाली के माध्यम से आय में वृद्धि करके कर सकती है।

अब 'प्रगतिशील कर' के विपक्ष में या निम्नांकित दोषों की सूची:

(i) उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव

(ii) करों का आधार गलत

(iii) करों की मनमानी दर

(iv) बचत और परिश्रम हतोत्साहित

(v) प्रगतिशील कर प्रणाली अन्त में स्वयं समाप्त हो जाती है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में प्रगतिशील कर प्रणाली को उसके गुणों के कारण बहुत सारे देशों के द्वारा अपनाया जा रहा है। इसके गुण के साथ ही, इस कर प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण दोष भी हैं, यथा, मनमाने तरीके से कर की वसूली, उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव, कर की दर में अनिश्चितता। इन दोषों के बावजूद इस कर प्रणाली को अन्य कर प्रणाली से बेहतर माना गया है कारण कि प्रशासनिक कुशलता और दूरगामी सोच से इन कमियों को दूर किया जा सकता है।